न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 72/2017
निर्णय दिनांक : 21/04/2022

जगदीश
2 बाबूलाल | पुत्रान स्व. श्री चौथमल कुमावत पुत्र स्व.श्री सुरज
3 बाबूलाल पुत्र, स्व. श्री गोपाल कुमावत पुत्र स्व. श्री सुरज(मृतक दौराने दावा)
1 श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल
2 संतोष कुमावत
3 राजेन्द्र कुमावत | पुत्रान स्व. श्री बाबूलाल कुमावत
4 चांदबिहारी कुमावत
5 अनिल कुमावत
4 लालचन्द पुत्र स्व. श्री भेंवर लाल कुमावत पुत्र स्व. श्री सुरज
5 श्रीपाल
6 मुकेश | पुत्रान स्व. श्री श्यामलाल कुमावत पुत्र स्व. श्री सुरज

समस्त जातियान कुमावत समस्त निवासीयान गोपालजी की तलाई ढाणी कुमावतान सांगानेर, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, इन्द्रा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण के कब्जे काश्त बुजुर्गो के जमाने की खातेदारी पैत्रक आराजी कृषि भूमि ग्राम, कस्बा सांगानेर भू.अभि.नि. क्षेत्र सांगानेर तह. सांगानेर जिला जयपुर राज. स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.17 हैक्टे. व ख. न. 1762 रकबा 0.30 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टे. जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल में प्रतिवादी [illegible] के नाम दर्ज है, जिसमें वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.17 [illegible] के साबिक पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2904 रकबा 3 बीघा [illegible] बिस्वा [illegible] चकबंदी रजिस्टर [illegible] 1993 से 2002 में वादीगण के पितामह सूरज पुत्र जे[illegible] कौम कुम्हार के नाम [illegible] रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है के यथास्थान हाल नक्शे में सृजित है जिस पर वादीगण [illegible] खातेदारी अधिकार प्रोदभूत होने के समय माह जुलाई सन् 1940 से खातेदार के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

से पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज काश्त है तथा वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.30 हैक्टेयर पर भी वादीगण साबिक पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा सिवाय चक लगानी के यथास्थान के आंशिक हिस्से पर सृजित है जिस पर वादीगण के पूर्वज दादा सूरज पुत्र श्री जेतू कुम्हार सम्वत् 1997 सन् 1940 से शिकमी काश्तकार के रूप में व उनके बाद वादीगण पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वज दादा सूरज पुत्र जेतू के समय से ही पूर्ण/कमोबेश रकबे पर काबिज काश्त है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रर्वतन के समय भी हाल वादग्रस्त खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.30 हैक्टेयर पर तत्समय परिवर्तित खसरा नम्बर 3177 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के रूप में काबिज काश्त थे जिसके कारण उक्त वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.30 हैक्टेयर पर भी उनके खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो चुके है, उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि पर वादीगण आज भी अपने-अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है जिसमें वादीगण संख्या 1 लगायत 2 का संयुक्त हिस्सा 1/4 है, वादी संख्या 3 का हिस्सा 1/4 है, वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/4 है तथा वादीगण संख्या 5 व 6 का संयुक्त हिस्सा 1/4 है। वादीगण की वादग्रस्त खातेदारी कृषि भूमि साबिक पूर्व साबिक मिसल हकीयत सम्वत 1987 के खसरा नम्बर 2904 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के सम्वत 2008 से 2015 तक खसरा नम्बर 3172 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के रूप परिवर्तित हो गये थे तथा कब्जे काश्त की सिवाय चक लगानी कृषि भूमि साबिक पूर्व साबिक मिसल हकीयत सम्वत 1987 के खसरा नम्बर 2903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के भी सम्वत 2008 से 2015 तक खसरा नम्बर 3177 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 3178 रकबा 1 बीघा के रूप में परिवर्तित हो गये थे जिसमें वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेतू कुम्हार परिवर्तित खसरा नम्बर 3177 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा पर काबिज काश्त थे। उक्त परिवर्तित खसरा नम्बरान के साबिक खसरा नम्बरान को सम्वत 2008, सन् 1951 की खसरा गिरदावरी कॉलम संख्या 27 कैफियत में दर्शाया गया है व सम्वत 1984 के राजस्व नक्शे के खसरा नम्बर 2903 व 2904 में भी लाल रंग से भी दर्शाया गया है। दौराने प्रथम पैमाईश भूप्रबन्ध कर्मियो ने वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि साबिक पूर्व साबिक मिसल हकीयत सम्वत 1987 के खसरा नम्बर 2904 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा नये खसरा नम्बर 3339 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को तो वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेतू कुम्हार की खातेदारी में रखा लेकिन इसी खसरे से नये बनाये दुसरे खसरा नम्बर 3344 रकबा 1 बीघा मिन को वादीगण के आंशिक हिस्से की शिकमी काश्तकार के रूप में कब्जे काश्त की कृषि भूमि साबिक पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा सिवाय चक लगानी से बनाये गये मिन खसरा नम्बर 3344 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा को मिलाकर सिवाय चक लगानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि भू प्रबन्ध कर्मियो को वादीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि को सिवाय चक लगानी घोषित करने का अधिकार प्राप्त नही था जबकि भू प्रबन्ध कर्मियो ने वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि साबिक पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2903 [illegible] वादीगण के पूर्वजो की काबिज काश्त आंशिक हिस्से की भूमि जिसके [illegible] 3344 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मिन बनाये को तो वादी[illegible] नम्बर 3344 रकबा 1 बीघा मिन में मिलाकर [illegible]त कर दिया तथा साबिक पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2903 रकबा 3 बीघा 10 [illegible]ा के शेष रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 3345 बनाकर उसको तत्समय काबिज काश्त शिकमी काश्तकार श्योला पुत्र सूजा गुर्जर के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

दी। मिसल बंदोबस्त सम्वत 2015 के खसरा नम्बर 3344 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जो की वादीगण की खातेदारी भूमि, साबिक खसरा नम्बर 2904 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में से रकबा 1 बीघा व साबिक खसरा नम्बर 2903 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में से वादीगण के पूर्वजो की आंशिक हिस्से की शिकमी काश्तकार के रूप में काबिज काश्त भूमि रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा को मिलकर बनाया गया है जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2015 से 2034 से भी साबित है जिसके हक हकूको की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 28-04-1960 के द्वारा वादीगण के पितामह सूरज पुत्र श्री जेठू कुम्हार भी की जा चुकी है लेकिन उक्त नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 28-04-1960 को प्रतिवादी संख्या 2 ने आज तक जान बूझकर तस्दीक नही किया गया है जिसके कारण उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त साबिक खसरा नम्बर 3344 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से ही हाल खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर बने है जो वादग्रस्त है। वादीगण अधिकारी है कि वह अपने पूर्वजो की खातेदारी कृषि भूमि से बने हाल वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0. 47 हैक्टेयर की खातेदारी घोषणा प्राप्त करे, अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करावे व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी है कि वे बाद रिकार्ड दुरूस्ती हाल खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, ना किसी अन्य से करावे। वाद कारण दिनांक 21-04-2017 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कर्मचारीगण मौके पर आये ओर नाप-जोख करने लगे इस पर वादीगण ने एतराज किया की इस भूमि पर हम पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त है यह भूमि हमारी खातेदारी की कृषि भूमि है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कर्मचारियो ने कहा की यह भूमि तो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ओर हम उक्त वादग्रस्त भूमि का अमानीशाह नाला के विस्थापितो को रिहायश हेतु आवंटन करेगे और तुम्हे जबरन बेदखल करेगे। इस पर वादीगण ने वादग्रस्त भूमि से संबंधित साबिक व नया राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया व पूर्व में पूर्वजो के द्वारा निकलवाये गये रिकार्ड को भी तलाश कर इक्कटा किया तो उन्हें इस तथ्य की जानकारी हुयी कि राजस्व कर्मियो की त्रुटि के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गलत है तथा उनके पूर्वजो की खातेदारी हक, हकूको की कृषि भूमि है। इसलिये वाद पत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिमी हुआ है। जो आश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 सी. पी. सी. बाबत छूट वाद संस्थित किये जाने की इजाजत प्रदान करने सहित दो असल प्रतियो में पेश है। वाद कारण दिनांक 21-04-2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा वादग्रस्त भूमि का अमानीशाह नाला के विस्थापितो को रिहायश हेतु आवंटन करने व वादीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सांगानेर भू. अभि. नि. क्षैत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित होने के कारण श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। वाद पत्र अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र उचित शुल्क पर पेश है। अनुतोष अतएव वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(द्वितीय)

वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:-यह कि वाद वादीगण डिक्री विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 किया जाकर वाद पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम व कस्बा सांगानेर भू. अभि. नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज. स्थित वादग्रस्त भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.17 हैक्टेयर जिसके साबिक पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2904 सम्वत 1987 से 2007 तक, परिवर्तित खसरा नम्बर 3172 के रूप में सम्वत 2008 से 2015 तक व साबिक खसरा नम्बर 3344 सम्वत 2015 से 2049 तक है को तथा वादग्रस्त **हाल खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.30 हैक्टेयर** जिसके साबिक पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2903 सम्वत 1987 से 2007 तक, परिवर्तित मिन खसरा नम्बर 3177 के रूप में सम्वत 2008 से 2015 तक व साबिक खसरा नम्बर 3344 सम्वत 2015 से 2049 तक है कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर को जो वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी हक, हकूको की कृषि भूमि है जिसमें वादीगण संख्या 1 लगायत 2 का संयुक्त हिस्सा 1/4, वादी संख्या 3 का हिस्सा 1/4, वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 5 लगायत 6 का संयुक्त हिस्सा 1/4 है को वादीगण के हिस्सेनुसार उनको रिकार्डड खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि बाद रिकार्ड दुरूस्ती हाल वादग्रस्त खसरा नम्बर 1782 रकबा .0.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर वादीगण को प्राप्त भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, न अन्य किसी से करावे। यह कि वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हक में उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादीगण की प्रोपर तामिल होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या-01 की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश पारीक ने अण्डटेकिंग पत्रावली में दी प्रतिवादी संख्या-01 व 02 की ओर से कई मौके देने पर भी कोई जवाब दावा पेश नही किया गया इसलिए प्रतिवादीगण संख्या-01 व 02 का जवाब बन्द किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है इसलिए प्रकरण में कोई विवाद्यक विचरित नही किये गये आरे पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण हेतु नियत की गई वादीगण की ओर से पी.डब्लू. सं.-01 जगदीश व पी. डब्लू. संख्या-02 विवेक कुमावत को गवाहान के रूप में परीक्षित करवाया गया जिन्होने अपनी साक्ष्य शपथ पत्र पर पेश की प्रतिवादीगण को जिरह हेतु कही मौके दिये गये लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई जिरह वादीगण के उक्त गवाहान से नही की गई इसलिए उक्त गवाहान से प्रतिवादीगण की जिरह बन्द की गई इसलिए वादीगण का वाद पत्र व गवाहान के साक्ष्य शपथ पत्र अखण्डनीय है और वाद पत्र पूर्ण रूप से [illegible] वादी पी. डब्लू-01 जगदीश ने स्वयं की गवाही साक्ष्य शपथ पत्र [illegible] जिसमें उसने वाद पत्र के तथ्यों का समर्थन करते [illegible] दस्तावेजो को प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में नि[illegible]:-

1-प्रदर्श 01 चकबंदी रजिस्टर सम्वत् 1993 से [illegible]02 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

2–प्रदर्श 02 हाल राजस्व नक्शा हाल खसरा नंबर 1782 व 1762 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

3–प्रदर्श 03 खसरा गिरदावरी सम्वत् 1997 सन् 1940, खसरा नंबर 2903, 2904 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

4–प्रदर्श 04 जमाबंदी सम्वत् 2001 खसरा नंबर 2903/2 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा खातेदार सूरज पुत्र जेदू कुम्हार ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

5–प्रदर्श 05 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2003, प्रदर्श–06 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2004, प्रदर्श 07 खसरा गिदावरी सम्वत् 2005, खसरा नंबर 2903 व 2904 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

6–प्रदर्श 08 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 सन् 1951 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

7–प्रदर्श 09 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012, प्रदर्श–10 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2015, खसरा नंबर 3172 व 3177 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

8–प्रदर्श 11 नक्शा सम्वत् 1984 सन् 1927–28 के खसरा नंबर 2903 व 2904 व परिवर्तित खसरा नंबर 3172, 3177 व 3178 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

9–प्रदर्श 12 मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2015 खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

10–प्रदर्श 13 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015 से 2024 खसरा नंबर 2903, 2904 के सम्वत् 2015 में बने नये खसरा नम्बरान ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

11–प्रदर्श 14 राजस्व रिकार्ड हाल मिलान क्षेत्रफल ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

12–प्रदर्श 15 नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 28–04–1960 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

13–प्रदर्श 16 जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

14–प्रदर्श 17 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021, प्रदर्श 18 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022 से 2024, प्रदर्श 19 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2026 से 2029 व प्रदर्श 20 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 से 2033 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

15–प्रदर्श 21 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल, हाल खसरा नंबर 1762 व 1782 ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादी संख्या–01 व 02 की ओर से कई मौके देने पर भी कोई साक्ष्य पेश नही की गई, जिसके कारण प्रतिवादीगण संख्या–01 व 02 को कई मौके देने के बाद साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की ग[illegible] संख्या 01 जगदीश व गवाह पी. डब्लू.–02 विवेक कुमावत से कोई [illegible] की गई, वादीगण के अधिवक्ता की ओर से मौखिक अ[illegible] पर वादी संख्या–03 बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 23.03.2022 [illegible] हो गई जिसके विधिक वारिसान की कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र न्यायालय [illegible] में वादीगण के अधिवक्ता की ओर से पेश किया गया जिस पर न्यायालय ने बहस सुनकर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम विधिक वारिसान स्वीकार कर संशोधित उनवान पेश करने हेतु आदेश दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (दक्षिण)

5.2022, 13:43

जिस पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान न्यायालय में पेश किया गया जिसको रिकार्ड पर लेते हुए मृतक दौराने दावा वादी संख्या–03 बाबूलाल के यथास्थान पर वादीगण संख्या–3/1 लगायत 3/5 के रूप में उसके विधिक वारिसान को प्रत्यास्थापित किया गया। प्रकरण में बहस अन्तिम पुनः मौखिक रूप से सुनी गई प्रतिवादीगण की ओर से कोई बहस नही की गई दौराने अन्तिम बहस वादीगण के अधिवक्ता ने पुनः धारा 80 (2) सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए न्यायालय को अवगत कराया की प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 02 वादीगण को जबरन उनकी पैत्रक हक, हकूको की खातेदारी भूमि से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–01 के नाम गलत दर्ज होने के कारण बैदखल कर देंगे इसलिए वादीगण को धारा 80 (2) सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र के तहत नोटिस से छुट प्रदान करते हुए वाद पत्र को संस्थित करने की इजाजत प्रदान दी जावे न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर मनन करने पर स्पष्ट पाया की प्रकरण में वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या–01 के नाम दर्ज है जिसके आधार पर वह वादीगण को जबरन बैदखल कर देंगे चूंकि धारा 80 (2) सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र वादीगण को कानून द्वारा प्रदत्त एक कानूनी अधिकार है जिसका उपयोग वादीगण अपने विरूद्व विषम परिस्थितियों कर सकते है क्योंकि उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि से वादीगण को प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 02 द्वारा जबरन बैदखल किया जा सकता है इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 80 (2) सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा कर वादीगण को वाद संस्थित करने की इजाजत प्रदान की जाती है और वादीगण को धारा 80 (2) सी. पी. सी. के नोटिस से छुट प्रदान की जाती है प्रकरण में दिनांक 20.04.2022 को प्रतिवादी संख्या–02 की ओर से लिखित बहस पेश कि वादीगण जगदीश वगै. 01 लगायत 06 जिसमें वादी संख्या–03 मृतक दौराने दावा बाबूलाल के कानूनी वारिसान वादीगण 3/1 लगायत 3/5 भी शामिल है ने उक्त वाद पत्र मुझ प्रतिवादी संख्या 02 व अन्य प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के साबिक पूर्व साबिक खसरा नंबर 2903 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 2904 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा के मिन रकबा से बने सम्वत् 2015 के साबिक खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 1782 रकबा 0.17 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1762 रकबा 0.30 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 0.47 हैक्टे. का वास्ते घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर रज. के स्थायी निवासी जरूर है। लेकिन वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज काश्त है। ग्राम व कस्बा सांगानेर पूर्व में खालसा का ग्राम था वादीगण के पूर्वज यदि वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त थे तो उन्होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पर अपने खातेदारी अधिकार क्यो नही प्राप्त किये लम्बे अर्से के बाद खातेदारी अधिकारो दावा कानून मुझ भूमिधारी के विरूद्व नही लाया जा सकता है। राजस्व रिकार्ड में [illegible] भूमि दर्ज है। जो प्रतिवादी संख्या–01 के नाम वर्तमान राजस्व रिक[illegible] में दर्ज है। जिस पर वादीगण अतिक्रमण कर काबिज है[illegible] तहत लम्बे कब्जे के आधार पर कोई खातेदारी [illegible] है। वादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि को वाद पत्र में अपने पूर्वजो की खाते[illegible] भूमि के आधार पर कब्जा काश्त स्वयं की खातेदारी भूमि बताया है। जबकि [illegible]ग्रस्त भूमि मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2015 व हाल मिसल बंदोबस्त में सिवाय चक भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

में दर्ज है। जिसके विरूद्व वादीगण के पूर्वजो के द्वारा कोई उजरदारी प्रस्तुत नही की गई है। और इतने लम्बे समय के बाद खातेदारी अधिकार का दावा नही लाया जा सकता है। जो कानूनन नाकाबिल पेश रफ्त है खसरा गिरदावरी कानून रिकार्ड ऑफ राईट्स नही है। वादीगण मात्र खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण द्वारा मुझ प्रतिवादी को 80 सी. पी. सी. का नोटिस भी नही दिया गया है। जिसके कारण भी वादीगण का वाद पोषणीय नही है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी है। और अतिक्रमी को कानूनी खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। यह कि उक्त लिखित बहस को रिकार्ड पर लिया जावे। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण खारिज फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा भूमिधारक को दिलवाया जावे व वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बैदखल किया जावे। उक्त लिखित बहस को न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर लिया गया जिसके बाद वादीगण के अधिवक्ता की मौखिक बहस पुनः सुनी गई जिसमें वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने मौखिक बहस प्रतिवादी संख्या–02 की ओर से कहा की हाल वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अतिक्रमी के रूप में काबिज काश्त नही है अपितु उनके पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार जमाबंदी सम्वत् 2001 जो प्रदर्श–04 है में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय भी परिवर्तित खसरा नंबर 3177 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा पर काबिज काश्त थे जो खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2015 जो प्रदर्श–09 व प्रदर्श–10 से साबित है। जिसको गलती से मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2015 खसरा नम्बर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा जो प्रदर्श–12 है में गैर कानूनी तरीके से सिवायचक लगानी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया जिसके बाद खसरा नम्बर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा की खातेदारी धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादीगण के पूर्वक सूरज पुत्र जेठू कुम्हार को दी गई जिसके हक, हकूको की दुरूस्ती का नामान्तकरण संख्या–16 दिनांक 28–04–1960 जो प्रदर्श–15 है जिसको सहवन से प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा आज तक तस्दीक नही किया गया है। तथा उक्त भूमि प्रदर्श–16 जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 में वादीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज व इन्द्राज है। तथा प्रतिवादी संख्या–02 ने अपनी लिखित बहस में स्वीकार किया है की वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। जिससे भी वादीगण का कब्जा बखूबी साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदार को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए कोई समया अवधि बाधित नही करती है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या–01 के नाम गलत रूप से दर्ज है तो वह प्रतिवादी संख्या–02 व भू प्रबन्ध की लापरवाही की वजह से है वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या–01 का कोई हक, हकूक नही है, बल्कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज द्वारा उजरदारी समय पर पेश की गई थी जिसके आधार पर ही वादीगण के पूर्वज के नाम नामान्तकरण संख्या–16 दिनांक 28–04–1960 जो प्रदर्श–15 है भरा गया है लेकिन प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा सहवन से उक्त नामान्तकरण को तस्दीक नही किया गया [illegible] गलत रूप से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–01 [illegible] है। जहां तक गिरदावरी कानूनन रिकार्ड ऑफ राईट्स नही है का प्रश्न है [illegible] संदर्भ में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में 1993 आर. आर. डी. 431 में अभिनिर्धारित किया है कि राजस्व कानून के संदर्भ में जयपुर राज्य में खसरा गिरदावरी वार्षिक राजस्व अभिलेख की जिस व्यक्ति का उस उपकृषक की हैसियत से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

जाते है। जहां धारा 80 सी. पी. सी. (2) के नोटिस के बिना वाद पोषणीय नही है के प्रश्न पर निवेदन है कि उक्त बिन्दु पर न्यायालय द्वारा प्रथम मौखिक बहस के दौरान वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 80 सी. पी. सी. (2) को स्वीकार कर उससे वादीगण को छुट प्रदान कर वाद पत्र पेश करने की इजाजत देकर वाद पत्र को रिकार्ड पर लिया जा चुका है। जिसमें न्यायालय ने अपने अभिमत में तर्क दिया है की विषम परिस्थितियो में वादीगण कानून द्वारा प्रदत्त अपने कानूनी अधिकार को उपयोग में ले सकते है उक्त प्रकरण में भी विषय परिस्थितिया थी प्रतिवादी संख्या–01, प्रतिवादी संख्या–02 के सहयोग से वादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज होने का बैजा फायदा उठाते हुए वादग्रस्त भूमि से जो वादीगण की पैत्रक कृषि भूमि है से जबरन बैदखल कर वादग्रस्त भूमि पर अमानीशाह नाला के विस्थापितो को बसाना चाहता था। इसलिए वादीगण द्वारा धारा 80 सी. पी. सी. (2) की न्यायालय श्रीमान् से छुट चाही और न्यायालय श्रीमान् वादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए उनको छुट प्रदान करते हुए वाद पत्र को रिकार्ड पर लिया है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के अतिक्रमी न होकर खातेदार है जो वादग्रस्त भूमि की अपने नाम से घोषणा कराने, इन्द्राज दुरूस्ती कराने, व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। आगे वादीगण ने अपने तर्को के समर्थन में प्रदर्श प्रलेखीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 21 प्रस्तुत की ओर मौखिक साक्ष्य को दौहराया है और वादीगण का कहना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श प्रलेखीय दस्तावेज व साक्षी पी डब्लू 01 जगदीश व पी डब्लू 02 विवेक कुमावत की साक्ष्य अखण्डनीय रही है इसलिये वादीगण को वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 1762 रकबा 0.30 हैक्टे. व हाल खसरा नंबर 1782 रकबा 0.17 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 0.47 हैक्टे. का हिस्सेनुसार रिकार्डेड काश्तकार घोषित किया जावे। न्यायालय द्वारा वादी पी डब्लू 01 जगदीश द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो न्यायालय द्वारा पाया गया की हाल वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1782 रकबा 0.17 हैक्टे. वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी भूमि साबिक पूर्व साबिक खसरा नंबर 2904 का हिस्सा है जिस पर जो वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार के नाम **प्रदर्श–01** राजस्व रिकार्ड चकबंदी रजिस्टर सम्वत् 1993 से 2002 में खातेदार के रूप में दर्ज व अंकित है जिस पर वह निर्विवाद रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक काबिज काश्त है जो खसरा गिरदावरिया **प्रदर्श–03** सम्वत् 1997 सन् 1940 **प्रदर्श–05** सम्वत् 2003, **प्रदर्श–06** सम्वत् 2004, **प्रदर्श–07** सम्वत् 2005, **प्रदर्श–08** सम्वत् 2008 सन् 1951 की कैफियत में वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार के खसरा नंबर 2904 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा के परिवर्तित खसरा नंबर 3172 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, तथा खसरा गिरदावरीया **प्रदर्श–09** सम्वत् 2009 से 2012, **प्रदर्श–10** सम्वत् 2013 से 2015 तथा सम्वत् 2015 के बाद की खसरा गिरदावरिया जो की खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा के रूप में है जो कि प्रदर्श 17 सम्वत् 2021, **प्रदर्श–18** सम्वत् 2022 से 2024, **प्रदर्श–19** सम्वत् 2026 से 2029, **प्रदर्श–20** सम्वत् [illegible] 2033 से तथा **प्रदर्श–13** मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015 व **प्रदर्श–14** [illegible] **प्रदर्श–11** नक्शा मिसल हकीयत सम्वत् 1984 सन् [illegible] हाल राजस्व नक्शा के अवलोकन स्पष्ट है कि उक्त भूमि की **प्रदर्श–12** मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2015 में दौराने प्रथम पैमाईश भूप्रबन्ध कर्मियो ने वादीगण के पूर्वज के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज करने के बजाय उक्त भूमि को गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध तरीके से सिवाय चक लगानी भूमि के खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]
2022, 18:43

के रूप में दर्ज कर दिया और बाद में **प्रदर्श–15** नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 20.04.1960 से खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा की वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार को खातेदारी हक, हकूको की दुरूस्ती का अधिकार मिलने के बाद प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा सहवन से तस्दीक न किये जाने व **प्रदर्श–16** जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 में खातेदार के रूप में दर्ज होने के बावजूद राजस्व कर्मियो द्वारा वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार के नाम आगे के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही किये जाने के कारण उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में **प्रदर्श–21** के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गलत है। तथा वादग्रस्त हाल खसरा नंबर 1762 रकबा 0.30 हैक्टे. के राजस्व रिकार्ड के न्यायालय द्वारा अवलोकन किये जाने पर पाया गया की हाल खसरा नंबर 1762 रकबा 0.30 हैक्टे. साबिक पूर्व साबिक खसरा नंबर 2903 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के यथास्थन पर हाल राजस्व नक्शे में सृजित है जिस पर वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार **प्रदर्श–03** खसरा गिरदावरी सम्वत् 1997 सन् 1940 से शिकमी काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है तथा **प्रदर्श–04** जमाबंदी सम्वत् 2001 में खसरा नम्बर 2903/2 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा पर बतौर खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है जिस पर वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार की कब्जा काश्त खसरा गिरदावरिया प्रदर्श 05 सम्वत् 2003, **प्रदर्श–06** सम्वत् 2004, **प्रदर्श–07** सम्वत् 2005, पूर्ण/कमोबैश रकबे से साबित है खसरा गिरदावरी **प्रदर्श–08** सम्वत् 2008 सन् 1951 की कैफियत से साबित है कि साबिक पूर्व साबिक खसरा नंबर 2903 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा के परिवर्तित खसरा नंबर 3177 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, व खसरा नंबर 3178 रकबा 01 बिस्वा 03 बने है जिसमें परिवर्तित खसरा नंबर 3177 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा पर वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार खातेदार के रूप में काबिज काश्त थे जो खसरा गिरदावरी **प्रदर्श–09** सम्वत् 2009 से 2012, खसरा गिरदावरी **प्रदर्श–10** सम्वत् 2013 से 2015 से साबित है तथा उसके बाद कि खसरा गिरदावरिया जो की सम्वत् 2015 में बने नये खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा के रूप में है जो कि प्रदर्श 17 सम्वत् 2021, प्रदर्श 18 सम्वत् 2022 से 2024, प्रदर्श 19 सम्वत् 2026 से 2029, *प्रदर्श–20* सम्वत् 2030 से 2033 से भी वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार का कब्जा काश्त साबित है तथा प्रदर्श 13 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015 व **प्रदर्श–14** हाल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 11 नक्शा मिसल हकीयत सम्वत् 1984 सन् 1927–28, व **प्रदर्श–02** हाल राजस्व नक्शा के अवलोकन स्पष्ट है कि उक्त भूमि को **प्रदर्श–12** मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2015 में दौराने प्रथम पैमाईश भूप्रबन्ध कर्मियो ने वादीगण के पूर्वज के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज करने के बजाय उक्त भूमि में से भूमि रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा को खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा में शामिल कर उसे वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार के नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध तरीके से सिवाय चक लगानी भूमि [illegible] दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि साबिक पूर्व साबिक [illegible] बिस्वा में से भूमि खसरा नंबर 3345 रकबा 02 [illegible] खातेदारी [illegible] पुत्र सूजा गुर्जर के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज क[illegible] और बाद में **प्रदर्श–15** नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 20.04.1960 से खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा की वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार को खातेदारी हक, हकूको की दुरूस्ती का अधिकार मिलने के बाद उक्त नामान्तकरण को प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible]

सहवन से तस्दीक न किये जाने व **प्रदर्श–16** जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 में खातेदार के रूप में दर्ज होने के बावजूद राजस्व कर्मियो द्वारा वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार के नाम आगे के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही किये जाने के कारण उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में **प्रदर्श–21** के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गलत है।

इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों वादीगण की ओर से पेश की गई साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 01 लगायत 21 के विवेचन से स्पष्ट है कि सम्वत् 2015 के खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार की खातेदारी भूमि साबिक पूर्व साबिक 2904 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा में से मिन रकबा 01 बीघा व साबिक पूर्व साबिक खसरा नंबर 2903 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा में से खातेदारी प्राप्त खसरा नंबर 2903/2 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा में से मिन रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा को मिलाकर बनाया गया है जिसको दौराने प्रथम पैमाईश भूप्रबन्ध कर्मियो ने गैर कानूनी व गलत रूप से राजस्व रिकार्ड मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2015 में सिवाय चक लगानी दर्ज कर दिया जबकि भूप्रबन्ध कर्मियो को केवल प्रविष्टिया दौराने का ही अधिकार था लेकिन दौराने प्रथम पैमाईश भूप्रबन्ध कर्मियो ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर वादीगण की उक्त भूमि को गैर कानूनी रूप से सिवाय चक लगानी दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 के प्रर्वतन के आने के समय खातेदार के रूप में काबिज काश्त थे उक्त तथ्य नक्शा सम्वत् 1984 जो प्रदर्श–11 है व हाल नक्शा जो प्रदर्श–02 है व मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2015 जो कि प्रदर्श–14 है से भी स्पष्ट है जिसके बाद खसरा नंबर 3344 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा का नामान्तकरण प्रर्दश 15 नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 20.04.1960 से वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार को खातेदारी हक, हकूक प्राप्त हुए लेकिन प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा सहवन से उक्त नामान्तकरण को तस्दीक न किये जाने व प्रदर्श–16 जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 में खातेदार के रूप में दर्ज होने के बावजूद राजस्व कर्मियो द्वारा वादीगण के पूर्वज सूरज पुत्र जेठू कुम्हार के नाम आगे के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही किये जाने के कारण वादग्रस्त हाल खसरा नंबर 1782 रकबा 0.17 हैक्टे. व हाल खसरा नंबर 1762 रकबा 0.30 हैक्टे. भूमि हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी प्रर्दश–21 में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गलत रूप से दर्ज है जिसको वादीगण को अपने नाम खातेदारी घोषणा प्राप्त करने राजस्व रिकार्ड में अपने इन्द्राज दुरूस्ती कराने व प्रतिवादी संख्या–01 व 02 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है, वादीगण का वाद पूर्णरूप से साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः एवं वादीगण का वाद सम[illegible] डिक्री किया जाता है [illegible] हाल खसरा नंबर एवं वादग्रस्त हाल खसरा न[illegible] 17[illegible] [illegible] 0.17 [illegible] 1762 रकबा 0.30 हैक्टे. कु[illegible] किता 02 कुल [illegible] 0.47 हैक्टे. स्थित ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज. [illegible] वादीगण जिसमें वादीगण संख्या–01 लगायत 02 को संयुक्त हिस्सा 1/4, वादीगण संख्या–3/1 लगायत 3/5 को संयुक्त हिस्सा 1/4, वादीगण संख्या–04 को हिस्सा 1/4, का तथा वादीगण संख्या–05 लगायत 06 को हिस्सा 1/4 का,

उप–[illegible] अधिकारी
जयपुर [illegible]

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या–02 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश की पालना में वादीगण का नाम उक्त वर्णित हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे व उनका अलग से खाता व लगान कायम करे तथा प्रतिवादी संख्या–01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बरान पर वादीगण के कब्जे काश्त, निर्माण, उपयोग, उपभोग व किसी प्रकार हस्तक्षेप नही करे, कोई बाधा कारित नही करे, व बेदखल नही करे, निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली दर्ज नंबर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
उप–खण्ड अधिकारी आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:40 IST
Reason: SelfAttested